रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1997/भाद्र 7, 1919
No. 13] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1997/BHADRA 7, 1919

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1997

का.नि.आ. 16 (अ).— केन्द्र सरकार ने का.नि.आ. 8-ई दिनांक 1-11-96 के अन्तर्गत अधिसूचित किया है कि छावनी परिषद्, अम्बाला का साधारण चुनाव 17 अगस्त 1997 को होगा ।

2. पृथ्वी सिंह तेतरवाल बनाम छावनी परिषद् अम्बाला एवं अन्य की याचिका सं. 5583/97 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण, छावनी परिषद् का चुनाव निश्चित तिथि को नहीं हो सका, अत: का.नि.आ. सं. 8-ई दिनांक 1-11-96 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

[फा.सं.-पी.सी.-29/8/अम्बाला/सी/डीई/97/2549/डी (क्यू एंड सी/97)]

फाल्गुनी राजकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1997

S.R.O. 16 (E).—The Central Government vide SRO 8-E dated 1-11-96 has notified the date of ordinary election to the Cantt Board Ambala to be held on 17th August 1997.

2. As the election of the Board cannot be held on the scheduled date, in view of the directions of the High Court of Punjab and Haryana in Writ Petition No. 5583 of 97—Prithi Singh Tetarwal Vs. Cantt Board Ambala & Others, SRO No. 8-E dated 1-11-96 is hereby cancelled.

[F. No. PC-29/8/Ambala/C/DE/97/2549/D (Q &C)/97]

FALGUNI RAJKUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1997

का.नि.आ. 17 (अ).— केन्द्र सरकार द्वारा छावनी परिषद्, अम्बाला के सदस्यों का चुनाव का.नि.आ. सं. 16 ई दिनांक 17 सितम्बर 92 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया था जो 24 सितम्बर 92 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । निर्वाचित सदस्यों का पांच वर्ष का कार्यकाल 23-09-97 को समाप्त हो रहा है । केन्द्र सरकार ने का.नि.आ. सं. 8-ई दिनांक 01-11-96 के अन्तर्गत परिषद् के साधारण चुनाव की तिथि 17 अगस्त 1997 अधिसूचित की थी ।

2. पृथ्वी सिंह तेतरवाल बनाम छावनी परिषद् अम्बाला एवं अन्य की याचिका सं. 5583/97 में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण 17 अगस्त 97 को निर्धारित चुनाव नहीं हो सका, अतः अधिसूचना रद्द कर दी गई ।

3. अतः छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 15 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अधीन केन्द्र सरकार ने प्रशासनिक कारणों से एतद्द्वारा छावनी परिषद्, अम्बाला के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 24-9-97 से छः माह अथवा उस समय तक जब तक कि उनके उत्तराधिकारियों का चुनाव अधिसूचित किया जाता है, जो भी पहले होगा, तक बढ़ाया है ।

[फा.सं.-पी.सी.-29/8/अम्बाला/सी/डीई/97/2549/डी (क्यू एंड सी/97)]

फाल्गुनी राजकुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1997

S.R.O.17(E).—The election of the members of Cantonment Board Ambala was notified by the Central Government vide SRO No. 16E dated 17th Sep. 92 published in the Gazette of 24th Sep. 92. The tenure of five years of the elected members is expiring on 23-9-97. The Central Government vide SRO 8-E dated 1-11-96 notified the date of ordinary election to the Board to be held on 17th August 1997.

2. In view of the directions of the High Court of Punjab and Haryana in Writ Petition No. 5583 of 97—Prithi Singh Tetarwal Vs. Cantt Board Ambala & Others, the election scheduled for 17th August 97 cannot be held and hence the notification has been cancelled.

3. Therefore, the Central Government, under powers vested vide proviso to Section 15 (1) of the Cantonments act, 1924 for administrative reasons, hereby extends the term of the elected members of the Cantt Board Ambala for six months from 24-9-97 or till such time the election of their successors is notified, whichever is earlier.

[F. No. PC-29/8/Ambala/C/DE/97/2549/D (Q &C)/97]

FALGUNI RAJKUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997